कार्यालय जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, खरगोन (म.प्र.)

email Add daeokhargone@gmail.com *TEL No 07282–234583*

क्रमांक / सू.अ. / 2019–20 / 22 खरगोन, दिनांक 03.03.2020

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
जिला खरगोन (म.प्र.)

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) की उपधारा (3) के अन्तर्गत 17 बिंदुओं की जानकारी बाबद्।

संदर्भ :– आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1867 / स्था. / आर.टी.आय / 10 दिनांक 04.03.2010।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के संबंध में जिला कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही एवं 17 बिन्दुओं के अनुसार मेन्युअल देवलिपि 010 फोन्ट में साईज 16 में तैयार कर सादर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी
जिला खरगोन (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, खरगोन (म.प्र.)

email Add daookhargone@gmail.com TEL No 07282–234583

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

धारा – 4 (उपधारा – 1)

—:: प्रमाण पत्र ::—

प्रमाणित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा–4 (उपधारा–1) के अनुपालन में जनसामान्य के अवलोकनार्थ ततसंबंधी 17 बिन्दुओं की जानकारी कार्यालय अभिलेख के अनुसार प्रशासन अकादमी म.प्र. शासन भोपाल के द्वारा जारी किये गये प्रपत्र के अनुपालन में अद्यतन की गई है।

हस्ताक्षर
सहायक लोक सूचनाधिकारी

जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी/जिला लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी खरगोन

- प्रशासन अकादमी म.प्र.शासन भोपाल द्वारा तत्सम्बधी जारी किये गये प्रपत्र के अनुपालनार्थ ।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, खरगोन (म.प्र.)

email Add daeokhargone@gmail.com TEL No 07282–234583

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का विवरण

लोक सूचना अधिकारी :– जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, जिला खरगोन

सहायक लोक सूचना अधिकारी :– लेखापाल, कार्यालय जि.प्रौ.शि.अ. खरगोन

अपीली अधिकारी :– कलेक्टर, खरगोन (म.प्र.)

अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के तहत 17 बिन्दुओं की जानकारी निम्नवत है :–

बिन्दु क्रमांक 1 कार्यालय का संरचनात्मक ढांचा :–

कार्यालय का नाम :– जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, जिला खरगोन (म.प्र.)

पता :– जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर खरगोन (म.प्र.)

कार्यालय के उद्देश्य :– खरगोन जिले के निरक्षरों को साक्षर करना। इस हेतु शासन से प्राप्त निर्देशों का पालन किया जावेगा।

कार्यालय के विभिन्न शाखाओं के कृत्यों, कर्तव्यों, दायित्वों का विवरण (शदि उपलब्ध न हो तो शाखावार दायित्व)

1) श्री बी.रायक, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी। खरगोन जिले के समस्त 15 से अधिक आयु वर्ग के निरक्षर महिला एवं पुरूषों को वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार साक्षर करने हेतु कार्य करना। इस कार्यालय में चार अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है :–

- श्री बी. रायक जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी साक्षरता संबंधी समस्त कार्य।
- श्री मुबारिक खॉं पठान लेखापाल, लेखा शाखा संबंधी समस्त कार्य।
- श्री डी.सी. जैन सहायक ग्रेड–3 समस्त लिपिकीय कार्य।
- श्री प्रियांशु यादव भृत्य।

उपरोक्त अधिकारी कर्मचारीयों के कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारी एवं वरिष्ठ कार्यालय द्वारा समय–समय पर सौंपे गये आदेशों का पालन करना। इनके जिम्में साक्षरता के पक्ष में वातावरण निर्माण प्रशिक्षण प्रतिवेदन भेजना, विशेषकर महिला साक्षरता का क्रियान्वयन है।

Scanned with CamScanner

बिन्दु क्रमांक 3 कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्णय प्रक्रिया (नस्ती प्रारंभ किए जाने से लेकर अंतिम निर्णय तक) जा फलो चार्ट (रेखा चित्र) निम्नवत है :–

1. कलेक्टर

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत

3. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी

(क) निगरानी एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था :– ग्राम स्तर पर ग्राम प्रभारी से लेकर ज़िला स्तर पर जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, जो शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों द्वारा तथा बीआरसी, जनशिक्षकों द्वारा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है तथा कार्यालय में भी प्रस्तुत नस्तियों में कार्यालयीन लिपिक द्वारा प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत जवाबदेह निर्धारण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

(ख) जवाबदेह निर्धारण की व्यवस्था :– कार्यालय को प्राप्त समस्त प्रकार के आवेदन एवं अन्य अभिलेख विधिवत पंजीयन कर निराकरण का निर्धारण कार्यालय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की व्यवस्था निर्धारित की गई है। जिसके तहत कार्यालय द्वारा प्रस्तुत जवाबदेह निर्धारण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

बिन्दु क्रमांक 4 कार्य निपटाने, गुणवत्ता तथा मात्रा संबंधी मापदंड (यदि इस तरह के मापदंड तय नहीं हो तो इस दिशा में कार्यवाही विभाग स्तर पर की जावे) :– राज्य शासन से प्राप्त कार्यक्रम समय सीमा में गुणवत्ता के आधार पर संचालित किये जाते है, इस संबंध में राज्य स्तर से दिशा निर्देश एवं मापदंड प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

बिन्दु क्रमांक 5 कार्य कलापों एवं दायित्वों के निर्वहन में प्रयुक्त अधिनियम, नियम, रेगुलेशन, निर्देश (मन्युअल) की सूची एवं संक्षिप्त विवरण :– शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार कार्यो का निर्वहन किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 6 कार्यालय में संधारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची उसका वर्गीकरण :– विभिन्न अभिलेख निम्नवत है :– 1. केश बुक 2. बिल रजिस्टर 3. कान्टीजेन्सी पंजी 4. बीटीबी 5. व्हाउचर फाईल 6. अन्य समस्त नस्तियां एवं पंजियां जिनकी कार्यालय में सूची उपलब्ध है।

... से संबंधित ऐसी परामर्शदात्री समितियों/व्यवस्थाओं का

Scanned with CamScanner

006 मकान किराया	2242
योग वेतन	115810/-

(ब) श्री मुबारिक खॉ पठान लेखापाल

वेतन एवं भत्तें दिनांक 01.03.2020 की स्थिति में :-

001 वेतन	49500
003 महगांई भत्ता	5940
006 मकान किराया	1110
योग वेतन	56550/-

(स) श्री डी.सी. जैन कार्यालय सहायक ग्रेड-3

वेतन एवं भत्तें दिनांक 01.03.2020 की स्थिति में :-

Scanned with CamScanner

बिन्दु क्रमांक 12 विभाग द्वारा संचालित [illegible] वर्षवार आवंटित राशि तथा हितग्राहियों प्रक्रिया, वित्तिय सहायता देने वाली संस्था, की संख्या :— (इसे प्रतिमाह अद्यतन किया जाना होगा) इस कार्यालय से संबधित नहीं।

बिन्दु क्रमांक 13 वास्तविक हितग्राहियों की सूची तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारीय :— (इसे प्रतिमाह अद्यतन किया जाना होगा) इस कार्यालय से संबधित नहीं।

बिन्दु क्रमांक 14 कार्यालय में उपलब्ध जानकारीयों की सूची, श्रेणी तथा उसकी प्रकृति (हार्ड कापी, इलेक्ट्रानिक फार्म) कार्यालय से संबंधित आवश्यक जानकारी/अभिलेख हार्ड कॉपी/प्रतिकृति में संधारित है।

बिन्दु क्रमांक 15 आम नागरिक द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए उसको उपलब्ध कराई गई सूविधाएं जैसे पुस्तकालय, वाचनालय, पब्लिक काउंटर आदि :— नियामानुसार आम नागरिक से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निरोकरण कर आवश्यक जानकारी समय सीमा में प्रदान की जाती है।

बिन्दु क्रमांक 16 लोक सूचना अधिकारी/अधिकारियों से संबंधित जानकारी :— लोक सूचना अधिकारी के रूप में जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी लेखापाल रहेंगे। इस संबंध में संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल से प्राप्त निर्देशों का भी पालन किया जावेगा।

बिन्दु क्रमांक 17 अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी जिसका संबंध आम नागरिक से हो :— समस्त शिक्षित नागरिकों से विनम्र निवेदन है कि अपने आस पास के 10 निरक्षर व्यंक्तियों को साक्षर कर खरगोन जिले को साक्षर करने में सहयोग प्रदान करें।

हस्ताक्षर

सहायक लोक सूचनाधिकारी

जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी/जिला लोक सूचना अधिकारी,

कार्यालय —जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी खरगोन

Scanned with CamScanner

क्र	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	वेतनमान	प्राप्त होने वाली सुविधाएं
1	श्री बी.रायक	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	LAVEL 12 index 20	निरंक
2	श्री मुबारिक खॉ पठान	लेखापाल	LAVEL 8 index 14	निरंक
3	श्री डी.सी जैन	सहायक ग्रेड–3	LAVEL 7 index 15	निरंक
4	श्री प्रियांशु यादव	भृत्य	LAVEL 1 index 1	निरंक

बिन्दु क्रमांक 11 कार्यालय एवं उसके अन्तर्गत आने वाली एजेन्सियों के लिए वर्षवार, मदवार बजट आवंटन तथा तत्संबंधी आयोजना एवं व्यय की जानकारी :–

कार्यालय जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी जिला खरगोन (म.प्र)

क्र	एजेन्सी का नाम	वर्ष	मद	बजट आवंटन	आयोजन एवं व्यय दिनांक 29.02.2020 की स्थिति में
	संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल	2019–20	011 वेतन	0	0
			001 वेतन	2861436	2470036
			003 महगांई भत्ता	367840	320872
			006 मकान भत्ता	61054	52332
			009 चिकि.प्रति.	0	0
			028 ग्रेड पे	0	
			011 वेतन योग	0	
			021 यात्रा भत्ता	0	0
			001 यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	0	0
			22 कार्या. व्यय	0	0
			001 डाकतार	500	500
			002 दुरभाष	0	0
			004 पुस्तकें एवं पत्रिकाऐं	0	0
			005 बिजली जलप्रभार	0	0
			007 लेखन सामग्री एवं फार्म	500	500
			22 का योग	1000	1000
			51 अन्य प्रभार	500	500

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, खरगोन (म.प्र.)

email Add daeokhargone@gmail.com TEL No 07282–234583

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

धारा – 4 (उपधारा – 1)

जन सामान्य के अवलोकनार्थ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा – 4 (उपधारा – 1) के अनुपालन में कार्यालय से संबंधित 17 बिन्दुओं की जानकारी :–

हस्ताक्षर

सहायक लोक सूचनाधिकारी

जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी / जिला लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी खरगोन

---

*प्रशासन अकादमी म.प्र. शासन भोपाल द्वारा तत्संबंधी जारी किये गये प्रपत्र के अनुपालनार्थ।

Scanned with CamScanner